सं0 सं0:– निग/सारा(पथ)–15–परिवाद–02–02/2017.........................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक :–

श्री सुरेश ठाकुर, तदेन सहायक अभियंता, निरूपण, भवन निर्माण विभाग, राँची सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची बोकारो जिलान्तर्गत बोकारो स्टील थाना काण्ड संख्या– 413/11, 463/11, 464/11 एवं 465/11 में दिनांक 21.02.2012 से 27.03.2012 तक कारावास में संसीमित रहे थे।

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3396(एस), दिनांक 11.07.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम– 9(2)(क) के तहत श्री ठाकुर के दिनांक 21.02.2012 से 27.03.2012 तक की कारावास में संसीमन अवधि को निलंबन अवधि घोषित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि उक्त निलंबन अवधि में श्री ठाकुर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम– 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. सहायक लोक अभियोजक, बोकारो के पत्रांक 47/अभि0, दिनांक 13.08.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री ठाकुर के विरूद्ध दर्ज काण्ड संख्या 413/11, 463/11, 464/11 एवं 465/11 में सुलह के आधार पर लोक अदालत में आरोप मुक्त किया गया है, जिसमें अपील दायर करने का विधिक प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त चारों काण्डों में सरकार की ओर से कोई अपील दायर नहीं किया गया है।

4. श्री ठाकुर के मामलें में संगत न्यायालय के द्वारा आरोप मुक्त किये जाने की स्थिति में उनकी निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 के तहत श्री सुरेश ठाकुर, तदेन सहायक अभियंता, निरूपण, भवन निर्माण विभाग, राँची सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के दिनांक 21.02.2012 से 27.03.2012 तक की निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– निग/सारा(पथ)–15–परिवाद–02–02/2017........................दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– निग/सारा(पथ)–15–परिवाद–02–02/2017........................दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

E:\office\Office PC Backup\RCD Files ALL\New Data 2021\Notification new 2021.docd

ज्ञापांक :— निग/सारा(पथ)—15—परिवाद—02—02/2017......................दिनांक—

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :— निग/सारा(पथ)—15—परिवाद—02—02/2017......................दिनांक—

प्रतिलिपि :— श्री सुरेश ठाकुर, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पता— आईटीआई मोड़, चास, इंडेन गोदाम के पास, पो0+थाना— चास, जिला— बोकारो, पिन— 827013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :— निग/सारा(पथ)—15—परिवाद—02—02/2017 4174(S) दिनांक— 28/xii/21

प्रतिलिपि :— सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01 एवं 10/ई—प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा— 14 एवं 15, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अजीत कुमार सिंह 28/12/21

सरकार के अवर सचिव।